

हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग ।

संख्या: शिक्षा-ए-क(1)-6/2008

तारीख, शिमला-171002 24 जून, 2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनेलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2011 को ऐसा दिन नियत करती है जिसको उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा ।

आदेश द्वारा


प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-171002

24 जून, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
4. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4 ।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
7. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-4 ।
8. रजिस्ट्रार, यश्वन्त सिंह परमार औद्योगिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन ।
9. रजिस्ट्रार, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा ।
10. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 ।
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 ।
12. श्री सी.वी. कृष्णा राव, मैम्बर, एन0आई0जी0, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनेलिस्ट्स ऑफ इन्डिया, प्लॉट # 19, रोड # 3, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद-500 034 ।
13. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 । उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें, ।
14. संरक्षण नस्ति ।


उप सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Ka(1)-6/2008 dated, 24th June, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

**Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education**

No. EDN-A-Ka(1)-6/2008

Dated Shimla-2

24

June, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 2 of 2011), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of July, 2011 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

By Order

**Principal Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh**

Endst. No. as above


Dated Shimla-171002

24

June, 2011

Copy for information and necessary action to:-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla.
3. The Pvt. Secretary to the Education Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. All the Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. The Secretary, HP Vidhan Sabha, Shimla-4.
6. The Secretary, University Grant Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
7. The Registrar, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.
8. The Registrar, Yashwant Singh Parmar Horticulture and Forestry Uni., Nauni, Solan, HP.
9. The Registrar, CSK Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur, Distt. Kangra, HP.
10. The Director of Higher Education, HP, Shimla-01.
11. The Director of Elementary Education, HP Shimla-01.
12. Shri C.V. Krishna Rao, Member, NIG, The Institute of Chartered Financial Analysts of India, Plot#19, Road#3, Banjara Hills, Hyderabad-500034.
13. The Controller, Printing & Stationery, H.P., Shimla-5 with the request to publish this notification in Rajpatra (extra-ordinary).
14. The Guard File.


**Deputy Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्टूबर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-22 / 2011-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2011 को अनुमोदित दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 43 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।